रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277674
CG-DL-E-04112026-277674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5749] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5749] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5981(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 22.04.2026 में का.आ. 2051(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी, में केंद्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, —

(1) जोटाना तालुका में: [अधिसूचना के हिंदी संस्करण का पृष्ठ संख्या 3 / अंग्रेजी संस्करण का पृष्ठ संख्या 19]:
जोटाना तालुका के लिए प्रकाशित कुल क्षेत्रफल 56496 वर्ग मीटर के स्थान पर, "56495" वर्ग मीटर पढ़ा जाए।

(2) कडी तालुका में: [अधिसूचना के हिंदी संस्करण का पृष्ठ संख्या 12 / अंग्रेजी संस्करण का पृष्ठ संख्या 28]:
कडी तालुका के लिए प्रकाशित कुल क्षेत्रफल 317409 वर्ग मीटर के स्थान पर, 317493 वर्ग मीटर पढ़ा जाए।

(3) विरमगाम तालुका में: [अधिसूचना के हिंदी संस्करण का पृष्ठ संख्या 17 / अंग्रेजी संस्करण का पृष्ठ संख्या 33]: विरमगाम तालुका के लिए प्रकाशित कुल क्षेत्रफल की संख्या **यथावत (अपरिवर्तित)** रहेगी।

[फा. सं. Expl-13011(26)/27/2025-EXPL-PNG (E-53241)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd November 2026

S.O. 5981(E).— In the Notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated **22.04.2026** vide **S.O. 2051(E)**, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the Schedule to the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification: -

(1) In Jotana Taluka:Page no. 3 in (Hindi) / Page No. 19 in (English)of the notification, the total area figure 56496 Sq.M should be replaced by 56495 Sq.M area.

(2) In Kadi Taluka:Page no. 12 in (Hindi) / Page No. 28 in (English) of the notification, the total area figure 317409 sq. should be replaced by 317493 Sq.M area.

(3) In Viramgam Taluka:[Page no. 17 in (Hindi) / Page No. 33 in (English) of the notification]: Against the total area figure of "321969" Sq. M published for Viramgam Taluka, it shall remain unchanged.

[F. No. Expl-13011(26)/27/2025-EXPL-PNG (E-53241)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA